अध्याय-1

सामान्य

अध्याय 1: सामान्य

1.1 परिचय

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभागों एवं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, साथ ही संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु नीतियाँ एवं निर्देश बनाने में सक्षम होने की आशा है, जो सुशासन में सहयोग देगा।

यह प्रतिवेदन छः अध्यायों में सुनियोजित किया गया है, जो निम्नवत है:

- **अध्याय 1** में वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की प्राप्ति व व्यय, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा-क्षेत्राधिकार, लेखापरीक्षा योजना व उसका संचालन, विभिन्न लेखापरीक्षा उत्पाद यथा निरीक्षण प्रतिवेदन, स्वतंत्र टिप्पणियां/परिच्छेद तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा समाविष्ट है।
- **अध्याय 2** में वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांसिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 3** में वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 4** में अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 5** में अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित स्वतंत्र टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 6** में राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित स्वतंत्र टिप्पणियां समाविष्ट है।

1.2 प्राप्ति एवं व्यय

हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है; तदनुसार यह भारत सरकार से 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। **तालिका-1.1** में वर्ष 2020-21 में बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है:

तालिका-1.1: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)
1.	स्वयं के कर राजस्व	9,090	8,083
2.	कर-भिन्न राजस्व	2,410	2,188
3.	संघीय करों/शुल्कों का अंश	6,266	4,754
4.	सहायता-अनुदान एवं भागीदारी	20,673	18,413
5.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)**	**38,439**	**33,438**
6.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	26	23
7.	अन्य प्राप्तियां	0	3
8.	उधार व अन्य देयताएं (क)	5,460	5,700*
9.	**पूंजीगत प्राप्तियां** (6+7+8)	**5,486**	**5,726***
10.	**कुल प्राप्तियां** (5+9)	**43,925**	**39,164***
11.	**राजस्व व्यय जिसमें से,**	**39,123**	**33,535**
12.	ब्याज भुगतान	4,932	4,472
13.	**पूंजीगत व्यय**	**6,614**	**5,629**
14.	पूंजीगत परिव्यय	6,255	5,309
15.	ऋण व अग्रिमों का संवितरण	359	320
16.	**कुल व्यय (11+13)**	**45,737**	**39,164**

स्रोत: वित्त लेखा व राज्य के बजट दस्तावेज।

(क) उधार एवं अन्य देयताएं : निवल (प्राप्ति-संवितरण)लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल (प्राप्ति - संवितरण) लोक लेखा + निवल अथ व अंत नकद शेष।

** वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश में से समनुदेशित हिस्सा तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनरूपी आंकड़े **तालिका-1.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका-1.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	**राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व**					
	कर राजस्व, जिसमें से	**7,039.05**	**7,107.67**	**7,575.61**	**7,626.78**	**8,083.32**[1]
	बिक्री व व्यापार पर मूल्य वर्धित कर	4,381.91	2,525.87	1,185.43	1,169.53	1,630.11
	राज्य वस्तु व सेवा कर	-	1,833.16	3,342.68	3,550.34	3,466.58
	राज्य आबकारी	1,307.87	1,311.25	1,481.63	1,660.02	1,599.74

[1] इसमें प्रमुख प्राप्ति शीर्ष '0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर' के अंतर्गत प्राप्त ₹ 3,466.58 करोड़ की राशि शामिल है।

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	मोटर वाहन कर	279.58	367.16	408.01	465.52	380.20
	स्टाम्प शुल्क	209.16	229.18	250.55	259.58	253.36
	विद्युत पर कर व शुल्क	371.67	360.79	487.08	100.86	401.76
	अन्य	488.86	480.26	420.23	420.93	351.57[2]
	कर-भिन्न राजस्व, जिसमें से	**1,717.24**	**2,363.85**	**2,830.04**	**2,501.50**	**2,188.45**
	विद्युत	650.93	687.61	1,134.34	1,021.68	749.12
	ब्याज प्राप्ति	145.56	340.54	385.88	245.36	306.43
	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	176.22	441.46	221.05	246.30	252.16
	वानिकी एवं वन्य जीव	18.50	46.87	76.32	83.61	49.56
	लोक निर्माण	54.60	55.87	69.92	53.51	58.28
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.63	40.45	51.34	49.65	37.05
	पुलिस	50.50	63.33	72.89	55.28	59.77
	अन्य कर-भिन्न राजस्व[3]	578.30	687.72	818.30	746.11	676.08
	योग	**8,756.29**	**9,471.52**	**10,405.65**	**10,128.28**	**10,271.77**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	4,343.70	4,801.31	5,426.97	4,677.56	4,753.92[4]
	सहायता-अनुदान	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52	18,412.58[5]
	योग	**17,508.05**	**17,895.54**	**20,544.63**	**20,617.08**	**23,166.50**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 व 2)**	**26,264.34**	**27,367.06**	**30,950.28**	**30,745.36**	**33,438.27**
4.	**कुल राजस्व में राज्य के स्व-राजस्व का प्रतिशत**	**33.34**	**34.61**	**33.62**	**32.94**	**30.72**

स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 69.28 *प्रतिशत* प्राप्तियां भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों की निवल आय के अंश एवं सहायता-अनुदान के रूप में थीं। कुल राजस्व के सापेक्ष राज्य सरकार के स्वयं के संसाधनों से हुई राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* में 2016-17 के 33.34 *प्रतिशत* से 2017-18 में 34.61 *प्रतिशत* की बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई तथा तत्पश्चात यह घटते हुए प्रवृत्ति के साथ 2020-21 में 30.72 *प्रतिशत* रह गई। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कर राजस्व में 3.71 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर के साथ ₹ 1,044.27 करोड़ (14.84 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

राज्य में 50 विभाग, 29 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं 53 स्वायत्त निकाय हैं। 2016-21 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की स्थिति **तालिका-1.3** में दी गई है:

---

2 अन्य प्राप्तियां- भू-राजस्व: ₹ 6.95 करोड़, माल व यात्री कर: ₹ 83.55 करोड़ तथा माल व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क: ₹ 261.07 करोड़ *(विभाज्य संघ करों व शुल्कों की निवल आय के हिस्से को छोड़कर)*।

3 अन्य कर-भिन्न राजस्व का विवरण **परिशिष्ट-1.1** में दिया गया है।

4 विवरण **परिशिष्ट-1.2** में दर्शाया गया है।

5 इसमें वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,763.53 करोड़ की राशि शामिल है।

इसमें बिना किसी चुकौती देयता के राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717.00 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

तालिका-1.3: 2016-21 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	10,135	9,728	11,230	11,009	13,331	11,438	14,351	12,335	15,528	13,454
सामाजिक सेवाएं	11,388	9,610	11,884	10,337	13,488	11,482	13,895	12,047	15,220	12,844
आर्थिक सेवाएं	7,314	5,996	7,734	5,697	9,082	6,512	7,832	6,338	8,364	7,227
अन्य	5	10	9	10	11	10	11	10	11	9
योग (1)	**28,842**	**25,344**	**30,857**	**27,053**	**35,912**	**29,442**	**36,089**	**30,730**	**39,123**	**33,535**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	3,241	3,499	3,531	3,756	4,298	4,583	4,580	5,174	6,255	5,309
संवितरित ऋण व अग्रिम	428	3,290	448	503	448	468	457	458	359	320
योग (2)	**3,669**	**6,789**	**3,979**	**4,259**	**4,746**	**5,051**	**5,037**	**5,632**	**6,614**	**5,629**
सकल योग	**32,511**	**32,133**	**34,836**	**31,312**	**40,658**	**34,493**	**41,126**	**36,362**	**45,737**	**39,164**

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण तथा राज्य सरकार के वित्त लेखे।

2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 25,344 करोड़ से 32 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹ 33,535 करोड़ हो गया तथा पूंजीगत परिव्यय ₹ 3,499 करोड़ से 52 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹ 5,309 करोड़ हो गया।

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा संचालित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 व 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम की धारा[6] 13 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा संचालित

[6] (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि व लोक लेखा से संबंधित सभी लेनदेन एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखाओं, तुलन पत्रों तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

करता है। इसके साथ ही कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम की धारा[7] 14 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकार द्वारा काफी हद तक वित्तपोषित स्वायत्त निकायों की भी लेखापरीक्षा संचालित करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 16 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार एवं प्रत्येक राज्य की सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार, जहां विधान-सभा का गठन किया गया हो, की समस्त प्राप्तियों (राजस्व व पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने हेतु तथा स्वयं को इस बात पर संतुष्ट करने के लिए कि नियमों व प्रक्रियाओं को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तथा उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, अधिकृत करती है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 तथा लेखापरीक्षा मानकों में विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत और कार्यप्रणाली निर्धारित किये गए हैं।

1.4 लेखापरीक्षा कार्य-योजना एवं उसका संचालन

सिविल अनुपालन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ आरम्भ होती है जिसमें गतिविधियों की गंभीरता/ जटिलता का निर्धारण, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों को ध्यान में रखा जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

राजस्व क्षेत्र में, विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पूर्व की प्रवृत्तियों एवं अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम व निम्न जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल 542 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 184 इकाइयों[8] के लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई एवं उनकी लेखापरीक्षा की गई। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से 184 इकाइयों की बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी शुल्क, मोटर वाहन तथा माल व यात्री कर की लेखापरीक्षा की गई। 2020-21 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर की गई कमियों के 975 मामलों में हुई कुल राजस्व हानि ₹ 360.75

---

7 कई गैर-व्यावसायिक स्वायत्त/अर्ध-स्वायत्त निकायों, जो रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता के प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य तथा बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, आदि के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किये गए हैं, और काफी हद तक सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जाती है।

8 इन इकाइयों में तीन विभागों - आबकारी, परिवहन और राजस्व विभाग, शिमला के अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं।

करोड़[9] थी। वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित विभागों ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 235 मामलों[10] में ₹ 13.83 करोड़ की राशि को स्वीकारा एवं वसूली की।

वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के 32 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा की। 4,902 मामलों में इंगित ₹ 33.28 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 4,888 मामलों में ₹ 32.75 करोड़ की वसूली स्वीकार की। 2020-21 के दौरान 1,941 मामलों में ₹ 30.08 करोड़ की वसूली की गई।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकारी विभागों के लेनदेन की सामयिक नमूना-जांच करता है तथा नियमों व प्रक्रियाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण लेखाओं व अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पाई गई एवं तत्काल सुलझाई न गई अनियमितताओं को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया जाता है, जिन्हें निरीक्षित कार्यालय प्रमुख को एवं उनकी प्रतियां अगले उच्चाधिकारियों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु जारी किया जाता है।

कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को सूचित की जाती हैं। प्रधान महालेखाकार उन लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रारूपों, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं, के लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों का ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया भेजने के अनुरोध के साथ उन्हें अग्रेषित करते हैं।

राजस्व क्षेत्र में मार्च 2021 तक जारी की गई 2,272 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 7,765 लेखापरीक्षा टिप्पणियां, जो ₹ 2,002.52 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त थी, 30 जून 2021 तक बकाया थी। वर्ष 2020-21 के दौरान जारी सभी 184 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा को चार सप्ताह के निर्धारित समय के भीतर संबंधित कार्यालय प्रमुखों से प्रथम उत्तर[11] भी

---

9 बिक्री व व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर: राशि: ₹ 207.31 करोड़: मामले: 215; राज्य आबकारी शुल्क: राशि: ₹ 77.84 करोड़: मामले: 109; स्टाम्प शुल्क: राशि: ₹ 17.29 करोड़: मामले: 425; भू-राजस्व: राशि ₹ 3.98 करोड़: मामले 83; वाहन, यात्री व माल पर कर: राशि: ₹ 54.32 करोड़ मामले: 143

10 स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 83.62 लाख, 166 मामले; मोटर वाहन कर ₹ 1245.8 लाख, 31 मामले; भू-राजस्व ₹ 0.15 लाख, 02 मामले व मूल्य वर्धित कर ₹ 53.10 लाख, 36 मामले।

11 एक लेखापरीक्षा योग्य इकाई के प्रभारी अधिकारी को प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर लेखापरीक्षा टिप्पणी या निरीक्षण प्रतिवेदन का जवाब भेजना अपेक्षित है।

प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार, सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में 11,525 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 53,047 लेखापरीक्षा टिप्पणियां 31 मार्च 2021 तक बकाया थीं।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं तथा अनुपालन न करने, व्यवस्थागत कमियों एवं विफलताओं के मामलों को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों का बकाया होना एवं निपटान हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां इनके प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को इंगित करती है। इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है तथा राजस्व की हानि के जोखिम को बढ़ाता है। लेखापरीक्षा परिच्छेदों की लंबित होने की बढ़ती प्रवृत्ति सरकार का तत्काल ध्यान लेखापरीक्षा द्वारा लगातार उठाए जा रहे मामलों के निपटान की ओर आकर्षित करती है। विभागीय अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित टिप्पणियों पर कार्रवाई करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही का क्षरण हुआ। यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें।

1.5.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठक

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निपटान के पर्यवेक्षण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए संबंधित विभाग के सचिव की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया।

2020-21 में, जून 2020 तक 4,841 बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से ₹ 12.52 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त 131 टिप्पणियों का निपटान राजस्व व परिवहन विभागों हेतु आयोजित दो लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों में किया गया था।

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

सरकार सभी विभागों हेतु नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करे।

1.6 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 में यह निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजी जाए।

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन, साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई उल्लेखनीय कमियों की सूचना दी

जिसने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। कार्यकारिणी को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिक सेवा के वितरण में सुधार करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें देने हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त पाई गई, जैसाकि नीचे दिया गया है:

1.7.1 की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स) प्रस्तुत न करना

लोक लेखा समिति के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जानी है या नहीं, स्वत: प्रेरित कार्रवाई करनी होती है। उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य के विधायिका में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर विस्तृत टिप्पणियां, जिनको लेखापरीक्षा द्वारा पुनः जांचा गया हो, प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उनके द्वारा की गई अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई दर्शाई गई हो।

इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर एक्शन टेकन नोट्स भेजने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एवं 2020 को समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 119 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 10 अप्रैल 2015 व 15 दिसंबर 2021 के दौरान राज्य विधानसभा के समक्ष रखे गए थे। परन्तु इन परिच्छेदों पर विभागों से एक्शन टेकन नोट्स बहुत विलम्ब से प्राप्त हुए जैसाकि **तालिका-1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त होने में विलम्ब

क्र. सं.	जिस समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्ति की अवधि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त होने में विलम्ब
1.	2014	10 अप्रैल 2015	2015 से 2018	1 से 37 माह
2.	2015	07 अप्रैल 2016	2016 से 2018	2 से 24 माह
3.	2016	31 मार्च 2017	2017 से 2018	5 से 15 माह

क्र. सं.	जिस समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्ति की अवधि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त होने में विलम्ब
4.	2017	05 अप्रैल 2018	2018 से 2019	0 से 14 माह
5.	2018	14 दिसम्बर 2019	2020 से 2021	6 से 13 माह
6.	2019	13 अगस्त 2021	प्राप्त होना शेष	
7.	2020	15 दिसम्बर 2021	प्राप्त होना शेष	

वर्ष 2020-21 के दौरान लोक लेखा समिति ने राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2008-09) से संबंधित एक परिच्छेद पर चर्चा की थी।

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों में, पिछली प्रतिवेदनों में शामिल परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) प्राप्त न होने से सम्बंधित स्थिति **तालिका-1.5** में दी गई है:

तालिका-1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त न होने से सम्बंधित स्थिति

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त करने की देय तिथि	31 मार्च 2022 तक लंबित एक्शन टेकन नोट्स
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	2012-13	जनजातीय विकास	21.02.2014	20.05.2014	01
	2013-14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.04.2015	09.07.2015	01
		जनजातीय विकास			01
		चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान			01
	2014-15	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले	07.04.2016	06.07.2016	01
	2015-16	गृह	31.03.2017	30.06.2017	02
		सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य			03
		मत्स्य पालन			01
	2016-17	सूचना प्रोद्यौगिकी	05.04.2018	04.07.2018	01
		उद्यान			01
		गृह			01
	2017-18	राजस्व	14.12.2019	13.03.2020	02
	2018-19	उद्यान	13.08.2021	12.11.2021	02
		शहरी विकास			01
		शिक्षा			03
		सामान्य प्रशासन			01
		उद्योग			01
		श्रम एवं रोजगार			01
		योजना			02
		लोक निर्माण विभाग			01
		राजस्व			01
		तकनीकी शिक्षा			01

1.7.2 स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून एवं न्याय, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए है। राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों से सम्बंधित लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में दिया गया है। बकाया लेखाओं वाले निकायों/ प्राधिकरणों का विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है:

तालिका-1.6: निकायों या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जबसे बकाया हैं	2020-21 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	2019-20	01
2.	हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	07
3.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	2015-16	05
4.	हिमाचल प्रदेश शहर परिवहन एवं बस अड्डा प्रबंधन विकास प्राधिकरण	2019-20	01

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम रहता है, अतएव लेखाओं को अंतिम रूप देने एवं शीघ्रातिशीघ्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

1.8 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित इक्विटी एवं ऋण

31 मार्च 2021 तक राज्य के 26 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार का इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घावधि ऋण **तालिका-1.7** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.7: 31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश[12] (₹ करोड़)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घावधि ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण
विद्युत	3,814.19	2,087.57	11,636.20	7,223.06	15,450.39
वित्त	144.99	138.30	171.30	84.68	316.29
उद्योग एवं अवसंरचना	62.99	62.87	2.97	2.97	65.96
कृषि एवं सम्बद्ध	69.33	59.80	72.05	71.65	141.38
सेवा	949.64	933.44	42.61	0.05	992.25
योग	**5,041.14**	**3,281.98**	**11,925.13**	**7,382.41**	**16,966.27**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदत्त जानकारी।

[12] निवेश में इक्विटी व दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विद्युत क्षेत्र पर सबसे अधिक निवेश किया गया। इस क्षेत्र को ₹ 16,966.27 करोड़ के कुल निवेश का 91.07 प्रतिशत (₹ 15,450.39 करोड़) प्राप्त हुआ था।

1.8.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हिमाचल प्रदेश सरकार की बजटीय सहायता

हिमाचल प्रदेश सरकार समय-समय पर वार्षिक बजट के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण के प्रति बजटीय व्यय का सारांशित विवरण नीचे **तालिका-1.8** में दिया गया हैं:

तालिका-1.8: राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[13]	2018-19		2019-20		2020-21	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	6	312.85	7	335.89	7	263.25
दिए गए ऋण	2	369.10	2	571.26	2	268.83
प्रदत्त अनुदान/ सब्सिडी	11	440.36	9	691.15	9	983.68
कुल निकास	**-**	**1,122.31**	**-**	**1,598.30**	**-**	**1,515.76**
अदा किए गए /बट्टे खाते में डाले गए ऋण	-	-	-	-	2	4.18[14]
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटी	5	115.60	7	673.60	8	491.44
प्रतिबद्ध /बकाया गारंटी	1	0.60	8	1,447.15	4	93.74

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी का निवेश मुख्य रूप से तीन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों[15] (₹ 196.98 करोड़) एवं एक 'विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम' (हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 62.02 करोड़) में किया गया था। राज्य

---

13 राशि केवल राज्य के बजट से निकासी को दर्शाती है।

14 हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹ 1.93 करोड़ व ₹ 2.25 करोड़ की अदायगी की गई।

15 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड (₹ 50.77 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 62.21 करोड़) व हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 84.00 करोड़)।

सरकार ने एक विद्युत क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 266.00 करोड़) को ऋण भी प्रदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी का बड़ा हिस्सा हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 529.20 करोड़[16]) तथा शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (₹ 195.24 करोड़[17]) को प्रदान किया गया।

1.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र् के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.9.1 समयबद्ध प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात् यह प्रतिवेदन यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई किसी प्रकार की टिप्पणी की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले सम्बंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले लोगों पर, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अर्थदंड एवं कारावास जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है। राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे 30 नवंबर 2021 तक लंबित थे।

1.9.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 26 कम्पनियां (22 सरकारी कंपनियां तथा सरकार के नियंत्रणाधीन चार[18] अन्य कंपनियां- हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड को छोड़कर, जो 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया में थी) थी। इनमें से तीन[19] कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के लेखे तथा राज्य के शेष 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष

---

16 हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की आबादी को दी जाने वाली मुफ्त/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान।

17 परिचालन व प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु।

18 हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

19 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

2019-20 या उससे पूर्व के वर्षों के लेखे प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षा हेतु राज्य के 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों[20] के 23[21] वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए तथा 30 नवंबर 2021[22] को या उससे पूर्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिए गए। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षा किये गए लेखाओं की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्धन शुद्ध वित्तीय प्रभाव (लाभप्रदता पर ₹189.67 करोड़[23] एवं संपत्ति/ देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़) पर था। 30 नवंबर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सांविधिक निगमों को छोड़कर) के विभिन्न कारणों से 62 वार्षिक लेखे बकाया थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सरकारी कंपनियां: 20 एवं सरकार नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: 3) के संबंध में बकाया वार्षिक लेखाओं का विवरण **तालिका-1.9** में दिया गया है:

तालिका-1.9: 30 नवंबर 2021 तक कंपनियों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं एवं बकाया लेखाओं का विवरण

विवरण	सरकारी कम्पनियां	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियां	कुल
31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में कंपनियों की कुल संख्या	22	04	26
1 जनवरी 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या	52	07	59
उन कंपनियों की संख्या जिनके लेखे वर्ष 2020-21 में बकाया हो गए हैं	22	04	26
अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु देय लेखाओं की कुल संख्या	**74**	**11**	**85**
1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	14	04	18
अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	18	05	23
30 नवम्बर 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या	56	06	62

[20] सरकारी कंपनियां: 14 एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: चार।

[21] हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड: तीन; ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक व वित्त विकास निगम: दो-दो एवं अन्य 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से: एक-एक।

[22] वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की तिथि को भारत सरकार, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आदेश दिनांक 23 सितंबर 2021 के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, पंजाब व चंडीगढ़ द्वारा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

[23] अत्योक्ति: {लाभ (₹ 17.36 करोड़) व हानि (₹ 47.88 करोड़)} एवं न्यूनोक्ति: {हानि (₹ 124.20 करोड़) व लाभ (₹ 0.23 करोड़)}।

विवरण	**सरकारी कम्पनियां**	**सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियां**	**कुल**
बकाया लेखाओं का समय-वार विश्लेषण	**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या (30 नवम्बर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखे)**		
एक वर्ष	7 (7)	1 (1)	8 (8)
दो व तीन वर्ष	7 (16)	2 (5)	9 (21)
तीन वर्ष से अधिक	6 (33)	-	6 (33)[24]
योग	**20 (56)**	**3 (6)**	**23 (62)**

बकाया लेखाओं का मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग/ कंपनी प्रमुखों के साथ उठाया गया (सितंबर 2021)। हालांकि अभी भी छः कंपनियां ऐसी थीं जिनके लेखे 30 नवंबर 2021 तक तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

1.9.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[25] में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंट (सनदी लेखापाल) द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। 30 नवंबर 2021 तक इन दो सांविधिक निगमों के चार लेखे (हिमाचल प्रदेश वित्त निगम: तीन एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम: एक) लेखापरीक्षा हेतु लम्बित थे।

[24] हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम: सात; हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम: पांच; हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम: पांच; एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड: सात; हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड: पांच एवं हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ लिमिटेड: चार।

[25] हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।